30.8.19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० हैं। पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन व मनन किया। वादी द्वारा अपने वादपत्र में अंकित किये गये तथ्य, वाँछित अनुतोषादि, प्रतिवादी के जवाब के तथ्य एवं उभय पक्षकारान् द्वारा पेश किये गये साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र एवं शपथ-पत्र में अंकित दस्तावेजात की छायाप्रतियां पेश की हैं। वादी द्वारा मात्र छायाप्रतियां ही प्रस्तुत की हैं, कोई असल प्रति या सत्यापित प्रतियाँ पेश नहीं की हैं। मात्र एक नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति भी वादी द्वारा प्रस्तुत बकाया दस्तावेजात

30/08/19

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रमाणित प्रतियों की छायाप्रतियाँ मात्र है जिन्हे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।	
	हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम कुदायला संवत 2057-60 खाता नम्बर 1 पर खसरा नम्बर 65 रकबा 2) व 68 रकबा 2111/4 राजकीय कार्या० राजकीय आवास हेतु आरक्षित भूमि है।	
	वादी द्वारा खसरा नं० 65 का रकबा 2) के स्थान पर 211) रकबा का एडवर्स पजेशन के आधार पर ख० नं. 68 की 2111/4 एवं 65 की 111)$_2$ पर खातेदारी स्वत्व की घोषणा चाही है। वादी उक्त भूमि पर अपने-आप को विगत 30 वर्षों से सतत काबिज होना बतलाता है। किन्तु अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, और यदि उन दस्तावेजात् में अंकित वर्षों में वादी का वादगत उक्त भूमि पर अनाधिकार कब्जा मान भी लिया जाता है, तो धारा 91. L.R. Act के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 5 की उप-धारा 44 में यथा वर्णित कृत्य को करने करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष मौके से बेदखल कर कब्जा राज लिया जाता है। वादी द्वारा वांछित भूमि धारा 16. R.T. Act में वर्णित प्रकृति की प्रतीत होती है, और नगर पालिका रामगंजमण्डी के पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है।	
	विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि	30/08/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 5(44) में यथा परिभाषित व्यक्ति सामान्यतः किसी सद्भावी अनुतोष का हकदार नहीं होकर मात्र बेदखली कार्यवाही का हकदार होता है। हालांकि वादी द्वारा माननीय राजस्व न्यायालयों के निर्णय की छाया प्रतियां पेश की है, जो वादी के विरूद्ध जारी धारा 91 L.R.Act 1956 की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश किया जाना जाहिर आता है। उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप भी अपने निर्णयों में वादी को वादग्रस्त भूमि का अधिकारी प्रमाणित नहीं माना है। माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.7.01 में न्यायालय की प्रक्रियात्मक त्रुटि से तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश अपास्त कर माननीय न्यायालय R.A.A कोटा एवं राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार कार्यवाही हेतु लिखकर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। प्रथम तो वादग्रस्त भूमि राजकीय भवनों व आवासीय कार्यालयों हेतु आरक्षित है, द्वितीय साक्ष्य से वादी का वादग्रस्त भूमि पर सतत् कब्जा होना प्रमाणित नहीं है। अतः साक्ष्याभाव में यह तनकी खिलाफ वादी तय की जाती है। 30/08/19	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>तनकी नम्बर २:-</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि खसरा नम्बर ६५ का रकबा पूर्व में २।) हो, जिसे २) कर दिया गया हो।

थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जावे, बादगत उक्त खसरा नम्बर का रकबा ।।) कम दर्ज कर दिया है, तो भी तनकी नं० १ के विवेचन के अनुसार वादी का उक्त भूमि पर विधिक स्वत्व प्रमाणित नहीं है।

वादी का उक्त बादगत भूमि में स्वत्व तय नहीं किया जा सकता, लिहाजा वादी उक्त बादगत भूमि की कब्जा दुरुस्ती का भी हकदार नहीं है। इस दुरुस्ती की चाराजोही का हकदार प्रतिवादी नम्बर १ व २ है।

अतः यह तनकी इसी प्रकार खिलाफ वादी तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर ३:-</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी नम्बर १ में वर्णित नकल जमाबंदी अनुसार बादगत उक्त भूमि ख० नं० ६५ व ६८ दोनों राजकीय भूमि है, जिनमें से ख० नं० ६५ राजकीय आवास व कार्यालय उपयोग हेतु आरक्षित भूमि है।

अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

<u>तनकी नम्बर ४:-</u> इस तनकी को सिद्ध करने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आंशिक विधिक है। इस तनकी में विधि व तथ्य का सम्मिश्रण है। यह बात सत्य है, कि आवंटन व नियमन का मूवणाधिकार आवंटन नियमों में वर्णित आवंटन सलाहकार समिति को ही है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में वादी रिकार्ड दुरुस्ती एवं खातेदारी स्वत्व की घोषणा हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है। वादी द्वारा इस न्यायालय से वादग्रस्त भूमि पर आवंटन या नियमन हेतु चाराजोई नहीं की जा रही है। अतः वादी का वाद मात्र मूवणाधिकार के बिन्दु पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।	
	कतिपय दस्तावेजात की छायाप्रतियों से यह जाहिर आता है, कि माननीय राजस्व न्यायालयों द्वारा वादी के पक्ष में नियमन हेतु वक्त आवंटन प्रकरण पेश करने के निर्देश प्रदत्त किये गये है।	
	अतः माननीय न्यायालयों के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में यह उचित पाया जाता है, कि वादी अपने प्रकरण को विधि अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करे।	
	अतः यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।	
	<u>तनकी नम्बर-5</u>:- तनकी नम्बर 1 से 4 के विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है, कि वादी को वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जा सकती, और न ही वादी विवादित भूमि का रिकार्ड [illegible] का ही अधिकारी है - किन्तु वादी वांछित अनुतोष हेतु आवेदन सलाहकार समिति के समक्ष अपना पक्ष पेश कर नियमानुसार आवंटन / नियमन हेतु स्वतंत्र है।	
	अतः प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त हम वाद वादी को खारिज किया जाना उचित पाते है।	
	अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।	
	निर्णय आज दिनांक 30/8/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।	
	30/08/19	
	(चिमनलाल मीणा) R.A.S.	